प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश सं0– 173 /2020 दिनांक–30.08.2020

आदेश

जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), सम्भल के पत्र सं0–1622/एस0टी0/कोरोना/2020–21, दिनांकित 27.08.2020 के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल की आख्या के आधार पर जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को दिनांक–08.09.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में स्थित होना दर्शाया गया था, जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रशासनिक आदेश सं0–171/20020, दिनांकित–27.08.2020 पारित करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1298/LXXXVII/CPC/eCourts/ Allahabad/Dated:28 July 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक–28.08.2020 से 08.09.2020 तक जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी में निर्दिष्ट न्यायालयों को न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग (JITSI MEET) के माध्यम से सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक–28.08.2020 को प्रातः चन्दौसी बार एसोसिएशन, चन्दौसी के अध्यक्ष श्री टेकचन्द्र यादव के नेतृत्व में अधिवक्तागण के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा न्यायालय परिसर को कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत स्थित होने के संबंध में आपत्ति करते हुए मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर बल दिया गया कि श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निवासी एस0बी0आई0 कॉलोनी, चन्दौसी, जो दिनांक–26.08.2020 को कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं, उक्त कालोनी में निवास नहीं करते हैं तथा बरेली शिफ्ट हो गये हैं और उनके दर्शाये गये निवास स्थान से जनपद न्यायालय 100 मीटर की परिधि में नहीं आता है।

तद्परान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उप जिलाधिकारी, चन्दौसी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चन्दौसी, तहसीलदार, चन्दौसी व अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चन्दौसी से वार्ता की गयी और उपरोक्त बिन्दुओं पर जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

उपरोक्त संबंध में उप जिलाधिकारी, चन्दौसी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चन्दौसी, तहसीलदार, चन्दौसी, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्दौसी व अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चन्दौसी द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल को पत्र सं0–625/एस0टी0/2020, दिनांकित–28.08.2020 प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल द्वारा उक्त पत्र को संलग्न करते हुए जिलाधिकारी, सम्भल को आख्या प्रेषित की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), सम्भल द्वारा पत्र सं0–3174/रीडर/कोविड–19/सूचना/2020–21, दिनांकित 29.08.2020 के माध्यम से आख्या दी गयी है कि दिनांक–26.08.2020 को श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी एस0बी0आई0 कालोनी, चन्दौसी, जनपद सम्भल का कोविड–19 जांच हेतु सैम्पल लिया गया था, जो दिनांक–26.08.20020 को पॉजिटिव आने के कारण एस0बी0आई0, कालोनी, चन्दौसी को कन्टेनमेन्ट जोन बनाया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चन्दौसी के पत्रांक संख्या कोविड–19/न0प0प0च0/2020, दिनांक 27.08.2020 की आख्या के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर, स्थित चन्दौसी कन्टेनमेन्ट जोन में था, परन्तु उपजिलाधिकारी, चन्दौसी के पत्रांक–625/एस0टी0/2020, दिनांकित–28.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं के द्वारा सीलिंग का विरोध किया गया, जिस कारण पुनः पैमायश कराने पर अवगत कराया गया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री मनोज कुमार अग्रवाल के निवास से मुसिफ रोड की दूरी 75 मीटर तथा इस बिन्दु सं जनपद न्यायालय के मुख्य गेट की ओर 66 मीटर की दूरी तक 100 मीटर की त्रिज्याप्राप्त होती है। इस प्रकार जनपद न्यायालय के कैदी वाले गेट से लगभग 25 मीटर पहले ही विद्युत पोल के पास तक 100 मीटर की त्रिज्या प्राप्त होती है। उपरोक्त आधार पर जनपद न्यायालय, सम्भल

स्थित चन्दौसी के परिसर का मुख्य गेट व कैदियों वाला गेट एवं जनपद न्यायालय का मुख्य भवन कन्टेनमेन्ट जोन की परिधि से बाहर होने की आख्या दी गयी है।

अतः उपरोक्त आख्या के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश सं0–171/2020, दिनांकित–27.08.2020 तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। दिनांक–31.08.2020 से जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी में सभी न्यायालय यथावत् कार्य करेंगे।

सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु सूचित किया जाये। इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये एवं एक प्रति जिला सूचनाधिकारी को दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

30.08.2020

(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधीकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
5. अध्यक्ष/सचिव, चन्दौसी बार एसोसिएशन, चन्दौसी(सम्भल)
6. अध्यक्ष/सचिव, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
7. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,
8. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार मुरादाबाद।

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।